

No. : Shiksha – U (A-4) Audit (Local) 3778
Office of the Deputy Director of Higher Education
Una District Una H.P.

Dated:- Una 20 Oct, 2023

सेवा में

समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर / उच्च विद्यालय
उना जिला उना हिमाचल प्रदेश।


विषय स्थानीय निधि लेखा समिति का दिनांक 09.10.2023 से 16.10.2023 तक जिला
बिलासपुर, मंडी, काँगड़ा, चंबा, हमीरपुर तथा उना बैठक बारे में।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सचिव हि० प्र० विधान सभा सचिवालय पत्र संख्या: वि० स०
- स्था० नि० ले० स० (प्रवास)7-6/2023 दिनांक 23-09-2023, जिला उपायुक्त कार्यालय उना के पत्र
संख्या न० उना – ऑडिट (स्था० नि० ले० समिति) प्रतिवेदन) 2023-24/1091-110 दिनांक 27/09/2023
के अनुसार दिनांक 16-10-2023 को माननीय (Local Fund Account Committee) स्थानीय निधि लेखा
समिति हि० प्र० ने जिला के समस्त विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की तथा राज्य ऑडिट विभाग (SAD)
द्वारा लगाये गए ऑडिट पैरा जो आज दिन तक लम्बित पड़े हुए हैं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस सम्बन्ध में जिला उना के राजकीय उच्चतर / उच्च विद्यालयों के समस्त प्रधानाचार्य/
मुख्यध्यापकों/DDO को आदेश दिये जाते हैं कि राज्य ऑडिट विभाग (SAD) द्वारा किए गए ऑडिट (Audit)
के दौरान लगाये (Audit Paras) ऑडिट पैरा जो अभी तक लम्बित चले आ रहे हैं का पूर्ण विवरण
निर्धारित प्रपत्र (संलगित) पर 15 दिनों के भीतर (Hard and Soft) कॉपी इस कार्यालय को व्यक्तिगत रूप
में उपलब्ध करवाएं।

इसके अतिरिक्त यह सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए कि स्कूल के फंडों में Unspent
Money कितनी है।


उप-शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
उना जिला उना (हि० प्र०)

ऊना-ऑडिट (स्था0 नि0ले0समिति) प्रतिवेदन)2023-24/1091-110
उपायुक्त कार्यालय, जिला ऊना (हि0प्र0)।
दिनांक 27/09/2023

प्रेषक

उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रेषित

समस्त विभागाध्यक्ष (संस्थान, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थान, विकास निगम)।
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

विषय:

स्थानीय निधि लेखा समिति का दिनांक 09.10.2023 से 16.10.2023 तक जिला बिलासपुर, मण्डी, कांगडा, चम्बा, हमीरपुर तथा ऊना का संशोधित प्रवास कार्यक्रम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, हि0प्र0 विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्या: वि0स0-स्था0नि0ले0से0 (प्रवास)7-6/2023 दिनांक 23.09.2023 की छायाप्रति आपको भेजते हुए सूचित किया जाता है कि माननीय स्थानीय निधि लेखा समिति (Local Fund Accounts Committee), हि0प्र0 विधानसभा का दिनांक 16.10.2023 को जिला ऊना में प्रवास कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उक्त बैठक में माननीय समिति उन सभी संस्थानों को जो हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग (HP State Audit Department) के दायरे में आते हैं के द्वारा समय-समय पर बने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेखित ऑडिट पैरों एवं गत तीन वर्षों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों/संस्थानों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जानी है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.09.2023 तक आपके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र -क अनुसार सचिव, विधानसभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है आप अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना को लीगल साइज पेपर पर लैंडस्केप ओरियटेशन में दिनांक 28.09.2023 को सायं 4:30 बजे से पूर्व उक्त सूचना विशेष संदेशवाहक/सम्बन्धित सहायक कर्मचारी के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (Kruti Dev Font 010) में उपायुक्त कार्यालय के कमरा नं0 008 में अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ताकि समेकित सूचना को माननीय समिति की समीक्षा हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 28.08.2023 से पूर्व हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला के कार्यालय को भेजा जा सके।

यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पृष्ठ के बाईं ओर बाइंडिंग हेतु कम से कम डेढ़ इंच का खाली मार्जिन रखा गया हो और सभी रिपोर्टों के हैडिंग विभागों/संस्थानों के नाम बोल्ड फॉन्ट 14 साइज में तथा हिन्दी भाषा (Kruti Dev Font 010) में कम से कम 14 साइज में सुंदर ढंग से प्रिन्ट किए गए हों। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त बैठक में जिला के उपरोक्त विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर बैठक के सम्बन्ध में पूरी तैयारी सहित दिनांक 16.10.2023 समय 10:30 बजे जिला परिषद के बैठक हॉल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि किसी विभाग से सम्बन्धित सूचना शून्य है तो कृपया इस बारे में पूर्ण विवरण सहित शून्य सूचना भी निर्धारित अवधि के भीतर अवश्य भिजवाना सुनिश्चित करें। कृपया इसे अति गंभीरतापूर्वक लें और समयबद्ध रूप से निपटारें।

संलग्न/यथोपरि

भवदीय,

राघव शर्मा (भा.प्र.से.)

उपायुक्त,

ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ऊना-ऑडिट (स्था0 नि0ले0समिति) प्रतिवेदन)2023-24 - 11144 - 11174
उपायुक्त कार्यालय, जिला ऊना (हि0प्र0)।
दिनांक 17/10/2023

प्रेषित

1. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला ऊना (हि0प्र0)
2. उप-निदेशक (उच्चतर शिक्षा), ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
3. सहायक निदेशक, मत्स्य पालन विभाग जिला ऊना (हि0प्र0)
4. जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
5. जिला भाषा अधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
6. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय, जिला ऊना (हि0प्र0)
7. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद / सचिव, नगर पंचायत जिला ऊना (हि0प्र0)
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0),
9. सचिव जिला परिषद, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
10. समस्त कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति जिला ऊना (हि0प्र0).
11. प्रधानाचार्य डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय अम्बोटा, जिला ऊना
12. समस्त प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण जिला ऊना (हि0प्र0)
13. सहायक अभियन्ता हिमुडा जिला जिला ऊना (हि0प्र0)

विषय: स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में सूचना उपलब्ध करवाने वारे।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, हि0प्र0 विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्या: वि0स0-स्था0नि0ले0से0 (प्रवास)7-6/2023 दिनांक 23.09.2023 के तहत माननीय स्थानीय निधि लेखा समिति (Local Fund Accounts Committee), हि0प्र0 विधानसभा की बैठक दिनांक 16.10.2023 को जिला परिषद भवन ऊना हुई। उक्त बैठक में यह पाया गया कि आपके द्वारा माननीय समिति को उपलब्ध करवाई गई सूचना अधूरी है। माननीय समिति ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए 01 माह के भीतर-भीतर विधान सभा कार्यालय शिमला को संलग्न प्रपत्र अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना को लीगल साइज पेपर पर लैंडस्केप ओरियटेशन हिन्दी भाषा में दिनांक 10.11.2023 से पूर्व उक्त सूचना की 02 प्रतियां (duly signed) विशेष संदेशवाहक/सम्बन्धित सहायक कर्मचारी के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपायुक्त कार्यालय के कमरा नं0 008 में अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ताकि समेकित सूचना को माननीय समिति की समीक्षा हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 15.11.2023 से पूर्व हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला के कार्यालय को भेजा जा सके।

यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पृष्ठ के बाईं ओर बाइंडिंग हेतु कम से कम डेढ़ इंच का खाली मार्जिन रखा गया हो और सभी रिपोर्टों के हैंडिंग विभागों/संस्थानों के नाम बोल्ड फॉन्ट 14 साइज में तथा हिन्दी भाषा में कम से कम 14 साइज में सुदर ढंग से प्रिन्ट किए गए हों। यदि किसी विभाग से सम्बन्धित सूचना शून्य है तो इस बारे में पूर्ण विवरण सहित शून्य सूचना भी निर्धारित अवधि के भीतर अवश्य भिजवाना सुनिश्चित करें। यह माननीय विधानसभा समिति का मामला है इसे अति गंभीरतापूर्वक लें और समयबद्ध रूप से निपटारें।

संलग्न/यथोपरि

भवदीय,

राघव शर्मा (भा.प्र.से.)
उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

1) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित ऑडिट पैरों का व्यौरा जिनका ऑडिट राज्य लेखा विभाग(SAD) ने किया है का व्यौरा:-

प्रपत्र-1(क)

कार्यालय का नाम

जिला ऊना (हि0प्र0)

संस्थान का नाम	कुल लम्बित पैरे (वर्षवार)	समायोजित पैरे 28.09.2023 तक	लम्बित पैरे

प्रपत्र-1(ख)

कार्यालय का नाम

जिला ऊना (हि0प्र0)

क्रमांक संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट	पैरा संख्या	पैरे का व्यौरा	विभागीय उत्तर / कार्रवाई

2) पिछले 03 वर्षों में किए गए कार्यकलापों का वित्तीय एवं भौतिक विवरण

प्रपत्र-2(क)

कार्यालय का नाम

जिला ऊना (हि0प्र0)

क्रमांक संख्या	वित्तीय वर्ष	मदवार गतशेष	आय का मदवार व्यौरा (राज्य सरकार से प्राप्त) (केन्द्रीय सरकार से प्राप्त) (अन्य स्रोतों से प्राप्त)	व्यय की गई राशि का व्यौरा	शेष राशि का व्यौरा	FDR/Gold/Silver etc का व्यौरा बैंक के नाम सहित	राशि समय पर खर्च न करने का कारण
	2020-21						
	2021-22						
	2022-23						